प्रकरण (212 RTA) नं. 35/2015 श्रीमती मौजी देवी बनाम [illegible]

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10/5/18	पत्रावली ऊक्त राजस्व लेख अदालत उपखण्ड अधिकारी 2012 क्रम कायदा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के समस्त मूल वाद डिक्री किस जाकर निर्णित हो चुका है अतः अब ऐसे हालात पत्रावली को लम्बित का करने औचित्य नहीं है अतः खारिज पत्र 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल मुद्दा [illegible] पत्रावली दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official